प्रकरण 79/2016 राजेश पाराशर / सरकार नि. 23/10/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर जो तामील
23.10.17	उभय पक्ष उपस्थित। दोनो पक्षो की पुन: बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 04.05.2015 की पालना अप्रार्थी से कराये जाने के आदेश दिये जावे। अप्रार्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील दायर की जा चुकी है। जिसकी सूचना पूर्व में पत्रांक कोर्ट/2017/30 दिनांक 04.09.2017 से पेश कर दी गई है। प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। प्रकरण में अपील पेश होने एंव अपर न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण (सब-ज्युडिश) की श्रेणी में आता है। अत: प्रकरण का माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से निस्तारित होने तक इस न्यायालय से कोई कार्यवाही नही की जावे। हम अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) के कथन से सहमत है। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन होने के कारण इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही समझते है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्त्र हो। प्रकरण नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर	